भारत सरकार

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 4499

उत्तर देने की तारीख : 20.08.2025

भारतीय हज समिति

4499. श्री मोहिब्बुल्लाह:

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय हज समिति का गठन हज समिति अधिनियम, 2002 के अनुसार किया गया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी वर्तमान संरचना क्या है;

(ख) हज समिति के सदस्यों के चयन की प्रक्रिया और उनकी नियुक्ति के लिए उत्तरदायी प्राधिकरण का ब्यौरा क्या है;

(ग) हज समिति के सदस्यों के कार्यकाल का ब्यौरा और उनकी पात्रता के मानदंड क्या हैं;

(घ) सरकार किस प्रकार यह सुनिश्चित करती है कि हज समिति भारत में सभी मुस्लिम समुदायों के हितों का प्रतिनिधित्व करे; और

(ङ) हज समिति की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का ब्यौरा क्या है और यह अन्य सरकारी एजेंसियों के साथ किस प्रकार समन्वय करती है?

उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क): भारतीय हज समिति (HCoI) हज समिति अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत गठित एक वैधानिक निकाय है। यह भारत सरकार के अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करती है। पिछली हज समिति का गठन 1 अप्रैल, 2022 को तीन वर्ष की अवधि के लिए किया गया था, जिसकी अवधि 31 मार्च, 2025 को समाप्त हो गई थी।

(ख) और (ग): हज समिति अधिनियम, 2002 की धारा 4 में यथापरिभाषित हज समिति की संरचना निम्नानुसार है:-

(i) संसद के तीन सदस्य, जिनमें से दो सदस्यों को लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा उसके मुस्लिम सदस्यों में से तथा एक सदस्य को राज्य सभा के सभापति द्वारा उसके मुस्लिम सदस्यों में से नामनिर्देशित किया जाएगा:

बशर्ते कि संसद का कोई सदस्य, सदस्य न रहने पर, समिति का सदस्य नहीं रह जाएगा और लोक सभा का अध्यक्ष या राज्य सभा का सभापति, जैसा भी मामला हो, केंद्रीय सरकार के अनुरोध पर नया नामांकन करेगा;

(ii) समिति के नौ मुस्लिम सदस्य निर्वाचित किए जाएंगे, जिनमें से तीन उन राज्यों से होंगे जहां से पिछले तीन वर्षों के दौरान सबसे अधिक संख्या में तीर्थयात्री गए हों तथा अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट प्रकार से प्रत्येक क्षेत्र से एक-एक यथा निर्दिष्ट सदस्य होंगे।

बशर्ते कि अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्र में आने वाले किसी राज्य से एक से अधिक सदस्य निर्वाचित नहीं किए जाएंगे;

(iii) भारत सरकार के संयुक्त सचिव के पद से अन्यून चार व्यक्ति, जिन्हें विदेश, गृह, वित्त और नागर विमानन मंत्रालयों का प्रतिनिधित्व करने के लिए भारत सरकार द्वारा पदेन सदस्यों के रूप में नामित किया जाएगा;

(iv) केन्द्रीय सरकार द्वारा निम्नलिखित श्रेणियों के व्यक्तियों में से सात मुस्लिम सदस्यों को नामित किया जाएगा, अर्थात:-

(क) दो सदस्य जिन्हें लोक प्रशासन, वित्त, शिक्षा, संस्कृति या सामाजिक कार्य का विशेष ज्ञान हो और जिनमें से एक शिया मुसलमान होगा;

(ख) दो महिला सदस्य, उनमें से एक शिया मुस्लिम होगी;

(ग) तीन सदस्य जिन्हें मुस्लिम धर्मशास्त्र और कानून का विशेष ज्ञान हो, उनमें से एक शिया मुस्लिम होगा।

इसके अलावा, हज समिति अधिनियम, 2002 की धारा 6 के अनुसार, समिति के सदस्यों (पदेन सदस्यों और आकस्मिक रिक्तियों को भरने वाले सदस्यों को छोड़कर) का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा, जो धारा 5 के तहत सदस्यों की सूची के प्रकाशन के अगले दिन से शुरू होगा:

बशर्ते कि समिति के सदस्यों का कार्यकाल केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा एक बार में अधिकतम छह माह तक बढ़ाया जा सकता है, किन्तु किसी भी स्थिति में कुल एक वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकेगा।

(घ) भारतीय हज समिति (HCoI), हज समिति अधिनियम, 2002 के अंतर्गत गठित एक वैधानिक निकाय है। भारतीय हज समिति की संरचना उक्त अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत परिभाषित है, जिसमें विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों, मुस्लिम सांसदों, राज्य विधानमंडलों के मुस्लिम सदस्यों और प्रतिष्ठित मुसलमानों का प्रतिनिधित्व शामिल है। यह वैधानिक संरचना यह सुनिश्चित करती है कि देश भर के मुस्लिम समुदाय के सभी वर्गों के हितों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो।

(ङ) भारतीय हज समिति की प्राथमिक ज़िम्मेदारी भारत के भीतर भारतीय हज यात्रियों के लिए व्यवस्था करना है। यह हज यात्रा के सुचारू और सफल संचालन के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, जेद्दा स्थित भारतीय प्रधान कोंसलावास और नागर विमानन मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा विदेश मंत्रालय जैसी अन्य सरकारी एजेंसियों के साथ मिलकर काम करती है। भारतीय हज समिति, उड़ान समय-सारिणी और संचालन, चिकित्सा सुविधाओं, कोंसुली सहायता और मक्का, मदीना तथा अन्य तीर्थ स्थलों में व्यवस्थाओं के लिए सऊदी अरब अधिपत्य के साथ संपर्क सहित तीर्थयात्रा के विभिन्न पहलुओं की एकीकृत योजना और कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त सरकारी एजेंसियों के साथ समन्वय करती है।

*****